

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5769/2026

Shivesh Raghav S/o Lt. Sh. Krishnapal Raghav, Aged About 59 Years, R/o Flat No. B-006, Sheetal Apna Ghar Unit No. 09. C.h.h.l. Lokhandwala Complex, Andheri West, Mumbai (Maharashtra).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Arvind Balaut
For Respondent(s)	: Mr. Vivek Chaudhary, PP Mr. Aditya Jain

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

01/05/2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Om Prakash Chhawnika alias Om Prakash Chabnika Vs. State of Jharkhand and Another 2026 SCC OnLine SC 676 आदेश दिनांक 23.04.2026 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका संधारण योग्य नहीं है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि परिवाद प्रस्तुत होने के उपरांत संबंधित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है और प्रसंज्ञान के अनुसरण में कोई समन या वारंट जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत याचिका संधारण योग्य नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में भी इसी प्रकार के तथ्य हैं तथा इस संदर्भ में विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा संबंधित न्यायालय के आदेश को सक्षम पीठ के समक्ष चुनौती दे दी गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अग्रिम जमानत याचिका संधारण योग्य नहीं होने से निस्तारित की जाती है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J